

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र0/बोर्ड/नि0/ग्रेडिंग-क्ली.प्लांट/2025-26/ 2146

भोपाल, दिनांक 15/12/2025

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग

विषय:- मंडी समितियों में पूर्व स्थापित अनुपयोगी ग्रेडिंग-क्लीनिंग प्लांट के डिस्मैंटलिंग के संबंध में ।

-:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश की चयनित कृषि उपज मंडी प्रांगणों में ग्रेडिंग-क्लीनिंग प्लांट स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रदेश की कुछ कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में पूर्व से लगभग 30 वर्ष पुराने ग्रेडिंग-क्लीनिंग प्लांट अनुपयोगी स्थिति में है, जिनकी नियमानुसार अपलेखन की कार्यवाही करने हेतु प्रबंध संचालक महोदय द्वारा सप्ताहिक एवं मासिक समीक्षा बैठकों में निर्देशित किया जाता रहा है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र क्र0/निर्माण/मंडी संरचना/डिस्मैंटल/2019-20/766 दिनांक 03.05.2019 के अनुसार विधिवत अविलंब कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न:-परिपत्र की छायाप्रति।

अधीक्षक यंत्री

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्र0/बोर्ड/नि0/ग्रेडिंग-क्ली.प्लांट/2025-26/ 2147

भोपाल, दिनांक 15/12/2025

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला.....की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपकी मंडी में पूर्व से स्थापित अनुपयोगी ग्रेडिंग-क्लीनिंग प्लांट की नियमानुसार अपलेखन की कार्यवाही कर कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को अवगत करावें ।

अधीक्षक यंत्री

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क0/नि0/मंडी-संरचना/डिस्मेंटल/2019-20/ 766

भोपाल, दिनांक: 03.05.19

परिपत्र

मण्डी समितियों में निर्मित करायी गयी संरचनाओं में से अत्यधिक क्षतिग्रस्त/जर्जर संरचनाओं को डिस्मेंटलिंग करने की अनुमति के संबंध में मुख्यालय में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। कार्यालयीन आदेश क0/नि./मण्डी-संरचना/डिस्मेंटल/2016-17/1578 दि0 04.05.16 द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है।

कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगणों में ऐसी संरचनाएं जिनका डिस्मेंटल किया जाना आवश्यक है, उनके डिस्मेंटल के लिए पूर्व में जारी परिपत्र में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

1. मण्डी सचिव, कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री के निर्देश पर अथवा स्वविवेक से 30 वर्ष से अधिक समय पूर्व से निर्मित अनुपयोगी, जीर्ण-शीर्ण संरचनाएं जैसे भवन, गोदाम, शेड आदि को आवश्यकतानुसार डिस्मेंटल करने हेतु कार्यवाही करने के लिए संयुक्त संचालक/उपसंचालक एवं कार्यपालन यंत्री को सूचित करेगा।
2. कार्यपालन यंत्री, मण्डी बोर्ड तकनीकी संभाग, प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में सचिव, मण्डी के साथ संयुक्त रूप से विनष्टीकरण (डिस्मेंटलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचनाओं का स्थल निरीक्षण करेगा तथा सामान्यतः बोर्ड मण्डी के लेखा अभिलेख में संरचना के अंकित मूल्य के आधार पर हास मूल्य म0प्र0 कार्य विभाग मेन्यूअल की धारा-7 पैरा 3.036 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए निर्धारित करेगा तथा उस संरचना का तकनीकी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से जारी करेगा।
3. कार्यपालन यंत्री के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मंडी सचिव डिस्मेंटल का प्रस्ताव मंडी समिति के समक्ष रखकर इसकी स्वीकृति प्राप्त करेगा। सचिव, मण्डी समिति द्वारा विनष्टीकरण (डिस्मेंटलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचना के निरीक्षण एवं जारी तकनीकी प्रतिवेदन के उपरांत उक्त संरचना का उपयोग प्रतिबंधित करने की सूचना अनिवार्य रूप से चरपा करायी जावेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पश्चात अनुपयोगी संरचना को निष्प्रायोजित घोषित कर उसके विनष्टीकरण (डिस्मेंटलिंग) करने की अनुमति के लिए कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 यथा संशोधित की धारा 63 के परन्तुक अधिकार मण्डी अधिनियम की धारा-65(2) के तहत निम्नानुसार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

Salu

क	कार्य का नाम/कार्य की लागत/निर्मित संरचनाओं की अवधि	वर्तमान में प्रचलित अनुमति की कार्यवाही के अधिकार	संशोधित अनुमति के कार्यवाही के अधिकार
1	2	3	4
1	शौचालय/पंप हाउस/चेकपोस्ट/शीटों/पक्की छत से निर्मित सेण्डीशॉप गोदामे, कार्यालय भवन इत्यादि,लागत राशि रु 10.00 लाख,अवधि 30 वर्ष से अधिक के विनष्टीकरण / डिस्मेन्टलिंग के अधिकार	मंडी समिति के प्रस्ताव पर कार्यपालन यंत्री, तक0संभाग द्वारा जारी तकनीकी प्रतिवेदन पर संभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें संबंधित सहायक लेखाधिकारी, संबंधित मण्डी सचिव एवं सहायक यंत्री सदस्य रहेंगे कि अनुशंसा पर प्रत्यायोजित अधिकार अंतर्गत मुख्य अभियंता, मण्डी बोर्ड द्वारा डिस्मेन्टल हेतु अनुमति दी जा सकेगी।	कार्यपालन यंत्री के प्रतिवेदन एवं मंडी समिति के प्रस्ताव पर संयुक्त संचालक /उपसंचालक आंचलिक कार्यालय।
2	पक्की आर.सी.सी. छत के अंतर्गत निर्मित , लागत रु0 10.00 लाख से अधिक, अवधि 30 वर्ष से अधिक के विनष्टीकरण / डिस्मेन्टलिंग के अधिकार	पक्की आर.सी.सी. छत के अंतर्गत निर्मित संरचनाएं एवं बिन्दु क0 02 की तालिका के क्रमांक-01 एवं 02 में वर्णित के उपरांत सभी कार्य लागत राशि रु0 10.00 लाख से अधिक, अवधि 30 वर्ष से अधिक के विनष्टीकरण(डिस्मेन्टलिंग)के लिए मंडी समिति के प्रस्ताव पर कार्यपालन यंत्री, तक0 संभाग द्वारा जारी तकनीकी प्रतिवेदन पर संभाग स्तर पर गठित समिति,जिसमें संबंधित कार्यपालन यंत्री,मंडी बोर्ड,तक0 संभाग,सहायक लेखाधिकारी तथा संबंधित मंडी सचिव सदस्य रहेंगे की अनुशंसा पर सारगर्भित प्रस्ताव संबंधित संयुक्त/उप संचालक,मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय के माध्यम से प्रबंध संचालक,मंडी बोर्ड के सक्षम अनुमोदन के लिए मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा।	मण्डी समिति के प्रस्ताव एवं कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग की अनुशंसा पर मुख्य अभियंता,मण्डी बोर्ड, मुख्य अभियंता की पदस्थापना न होने की स्थिति में संबंधित संभागों के अधीक्षण यंत्री, मंडी बोर्ड।
3	किसी भी लागत के निर्माण कार्य जिनकी अवधि 30 वर्ष से कम है, के विनष्टीकरण के संबंध में प्रस्तावित संरचना का इंजीनियरिंग कॉलेज से नानडिस्ट्रक्टिव रिपोर्ट प्राप्त कर विनष्टीकरण/ डिस्मेन्टलिंग के अधिकार	किसी भी लागत की संरचनायें जिनमें विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) निर्धारित 30 वर्ष अधिक से कम अवधि में आवश्यक परिलक्षित होने पर विनष्टीकरण (डिस्मेन्टलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचना का इंजीनियरिंग कॉलेज से नॉन डिस्ट्रेक्टिव रिपोर्ट प्राप्त कर उक्त कार्य में संलग्न तकनीकी अमले की स्पष्ट जानकारी सहित सारगर्भित प्रस्ताव संबंधित संयुक्त/उप संचालक, मंडी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय के माध्यम से सक्षम अनुमति के लिए मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा।	मण्डी समिति के प्रस्ताव एवं मुख्य अभियंता की अनुशंसा के आधार पर प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड।

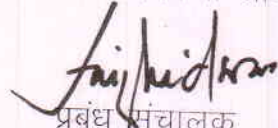
Shrey

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित होने के उपरांत निविदा की कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगी :-

- (एक) विनिष्ठीकरण (डिस्मेन्टल) हेतु भवनों/सम्पत्तियों को सबसे पहले सूचीबद्ध किया जावेगा, जिसमें भवन का निर्माण का वर्ष अंकित किया जावेगा।
- (दो) विनिष्ठीकरण (डिस्मेन्टलिंग) हेतु प्रस्तावित संरचना के निर्धारित ह्रास मूल्य पर विनिष्ठीकरण (डिस्मेन्टलिंग) से उपलब्ध होने वाली सामग्री की नीलामी हेतु निविदा की कार्यवाही मण्डी सचिव द्वारा की जावेगी। उक्त निविदा अंतर्गत प्राप्त अधिकतम राशि वाला ऑफर निर्धारित किये गये ह्रास मूल्य से अधिक है तभी उक्त संरचना के डिस्मेन्टल हेतु अधिकतम ऑफर को स्वीकार करने की कार्यवाही के विचार क्षेत्र में लिया जावेगा।
- (तीन) नीलामी की निविदा की शर्तों का निर्धारण करते हुए मण्डी सचिव द्वारा ऑनलाईन टेण्डर के माध्यम से एक समाचार पत्र(राज्य स्तरीय) में प्रावधानित अनुसार प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।
- (चार) नीलामी की निविदा अंतर्गत प्राप्त अधिकतम आफर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए मण्डी स्तर पर सचिव, लेखापाल एवं सहायक यंत्री की अनुशंसा उपरांत प्रकरण मण्डी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

दो बार विनिष्ठीकरण (डिस्मेन्टलिंग) के लिए आफर आमंत्रित होने पर यदि Depreciation Value से अधिक का आफर प्राप्त नहीं होता, तो मण्डी समिति डिस्मेन्टलिंग कार्य के अनुमानक की सक्षम स्वीकृति कार्यपालन यंत्री से प्राप्त कर निविदा आमंत्रित करेगी। इस प्रकार प्राप्त निविदा की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री, तकनीकी संभाग की अनुशंसा पर संबंधित मण्डी समिति द्वारा दी जायेगी।

अतः उपरोक्त के आधार पर की गई कार्यवाही का सक्षम अनुमोदन मण्डी समिति द्वारा मण्डी अधिनियम 1972 यथा संशोधित की धारा-17(2) (सत्रह) के अंतर्गत प्रदान किया जावेगा।


प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र०/नि०/मंडी-संरचना/डिस्मेंटल/2019-20/767

भोपाल, दिनांक: 03-05-19

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निज सचिव, मान० मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष, मण्डी बोर्ड भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. अपर संचालक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री/मण्डी बोर्ड मुख्यालय।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..... की ओर सूचनार्थ।
6. कार्यपालन यंत्री, म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति अपने स्तर से सभी मंडियों को प्रेषित करें।
7. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....जिला..... की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रबंध संचालक
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल